# श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
# SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
A Central University established by an Act of Parliament

सं.एफ.1(208)/एसएलबीएनएसयू/जीएडी/2021-22/907 दिनांक: 07.01.2022

## कार्यालय आदेश

वर्तमान में दिल्ली / एन. सी. आर. में कोरोना महामारी का प्रकोप विकराल रूप ले रहा है. इस सन्दर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 11013/9/2014-स्था.ए-III दिनांक 03.01.2022 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.3-2/2006(प्रशासन I/ए एंड बी) दिनांक 04.01.2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में समस्त अध्यापकगणों (नियमित/संविदा) को दैनिक कक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.01.2022 अनुपालनार्थ लागू किए जाते है :-

(1) विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापकगणों (नियमित/संविदा) को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के प्रारंभिक संकेतों के कारण यदि विश्वविद्यालय में दैनिक आवागमन में असुविधा है तो अध्यापकगण(नियमित/संविदा) अपनी सुविधानुसार सम्बंधित विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यम लेना सुनिश्चित करें। इस संबंध में अध्यापकगणों (नियमित/संविदा) से विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु संबंधित संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष की आवश्यक पूर्व अनुमति अपेक्षित है।

(2) विश्वविद्यालय के वह अध्यापकगण (नियमित/संविदा) जिन्हें विश्वविद्यालय की अतिरिक्त प्रशासनिक/शैक्षणिक जिम्मेदारी निर्वहन हेतु प्रदान की गई है, उनकी उपस्थिति नियमित रूप से अनिवार्य है ।

(3) विश्वविद्यालय के अध्यापकगणों (नियमित/संविदा) को यदि अपरिहार्य कारणों से अवकाश लेने की आवश्यकता है तो मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है |

(4) विश्वविधालय के शैक्षणिक वर्ग के विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने की छूट दी जाती है परन्तु उन्हें घर से कार्य करना अनिवार्य है ।

(5) सरकार द्वारा घोषित कंटेनमेंट क्षेत्रों में रहने वाले सभी अध्यापकगणों (नियमित/संविदा) को तब तक विश्वविद्यालय में आने से छूट दी जाएगी जब तक सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों को कोरोना मुक्त घोषित (denotify) नहीं किया जाता ।

(6) विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकगण (नियमित/संविदा) जो घर से कार्यालयीय दायित्वों/शैक्षणिक गतिविधियों का निर्वहन कर रहे हैं, वे टेलीफोन व संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे ।

(7) विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकगणों (नियमित/संविदा) द्वारा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। बार-बार हाथ धोना/सैनिटाइजेशन, फेस मास्क/कवर पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है ।

(8) विश्वविद्यालय में कार्यरत यदि कोई अध्यापकगण (नियमित/संविदा) कोविड से संक्रमित होते है , तो वह शीघ्र संबंधित प्रशासन विभाग को सूचित करें ताकि नियमानुसार उनकी छुट्टी विनियमित की जा सके तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय व यू.जी.सी द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों के संबंध में उचित व्यवहार का पालन करना सुनिश्चित करें ।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

जे. पी. सिंह 07/01/2022

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

**प्रतिलिपि :**

1. विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकगण (नियमित/संविदा)
2. समस्त संकाय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष
3. निदेशक आई.क्यू.ए.सी/कुलानुशासक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी/ छात्रावास अधिष्ठाता
4. ओएसडी (परीक्षा)
5. उप-कुलसचिव (लेखा) / उप-कुलसचिव (परीक्षा)
6. अधिशाषी अभियंता
7. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समस्त अध्यापकगणों (नियमित/संविदा) को व्हाट्सएप्प/ SMS के माध्यम से सूचित करें |
8. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
9. समस्त सहायक कुलसचिव
10. कुलपति / कुलसचिव के निजी सचिव
11. समस्त अनुभाग अधिकारी
12. सिक्योरिटी सुपरवाइजर
13. संबंधित फ़ाइल

जे. पी. सिंह 07/01/2022

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

for website upload
Sh. Sachin
10/01/2022